

!!सराहनीय कार्य!!

!!जनपद बस्ती!!

दिनांक:- 14.07.2021

“ऑपरेशन तमंचा” के तहत पुलिस मुठभेड़ के दौरान 06 अंतर्राज्यीय असलहा तस्करों को थाना हरैया व स्वाट टीम बस्ती की संयुक्त टीम द्वारा भारी मात्रा में अवैध असलहों के साथ किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री आशीष श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे ‘ऑपरेशन तमंचा’ अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी हरैया श्री शेषमणि उपाध्याय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक हरैया बिन्देश्वरी मणि त्रिपाठी मय पुलिस बल, प्रभारी स्वाट टीम निरीक्षक श्री विकास यादव व उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव मय स्वाट टीम की संयुक्त कार्यवाही द्वारा मुखबीर खास की सूचना पर 06 अंतर्राज्यीय असलहा तस्करों को विशेषगंज से हरैया मार्ग पर NH-28 से लगभग 250 मीटर पर बेलाडे शुक्ल से पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया एवं गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से एवं उनके निशानदेही पर भारी मात्रा में अवैध असलहा व कारतूस बरामद किया गया ।

जिसके सम्बन्ध में थाना हरैया जनपद बस्ती पर **1.** मु0अ0सं0 221/2021 धारा 307/504 IPC, **2.** मु0अ0सं0 222/2021 धारा 7/27 Arms Act, **3.** मु0अ0सं0 223/2021 धारा 3/25/27 Arms Act, **4.** मु0अ0सं0 224/2021 धारा 3/25 Arms Act, **5.** मु0अ0सं0 225/2021 धारा 3/25 Arms Act, **6.** मु0अ0सं0 226/2021 धारा 3/25 Arms Act व **7.** मु0अ0सं0 227/2021 धारा 3/25 Arms Act पंजीकृत कर अभियुक्तगण को माननीय न्यायलय बस्ती रवाना किया गया ।

पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती श्री अनिल कुमार राय द्वारा थाना हरैया पुलिस व स्वाट टीम बस्ती की संयुक्त टीम को सराहनीय कार्य के लिये रुपये 25000/- के ईनाम से पुरस्कृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अखिलेश शर्मा पुत्र रामचन्द्र शर्मा निवासी महदेवा थाना पैकोलिया जनपद बस्ती उम्र करीब 21 वर्ष |
2. राजन तिवारी उर्फ राजनाथ तिवारी पुत्र अमरनाथ तिवारी निवासी नथउपुर थाना हरैया जनपद बस्ती उम्र करीब 24 वर्ष (गैंग लीडर) |
3. राहुल सिंह उर्फ अमिताभ सिंह पुत्र शेष कुमार सिंह निवासी भैरोपुर थाना पैकोलिया जिला बस्ती उम्र करीब 26 वर्ष |
4. राजू पाठक पुत्र राम चन्द्र पाठक निवासी सकरदहा टोला मटिहनिया थाना हरैया जनपद बस्ती उम्र करीब 24 वर्ष |
5. विनय भाष्कर सिंह पुत्र हरि शंकर सिंह निवासी एकडंगी थाना हरैया जनपद बस्ती उम्र करीब 23 वर्ष |
6. विशाल सिंह पुत्र रामकृष्ण सिंह निवासी मुरादीपुर थाना हरैया जनपद बस्ती उम्र करीब 20 वर्ष (गैंग लीडर) |

बरामदगी का विवरण:-

1. दो अदद पिस्टल देशी .32 बोर व दो जिन्दा, दो खोखा कारतूस .32 बोर |
2. एक अदद तमंचा .32 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस.32 बोर |
3. दो अदद तमंचा 315 बोर व तीन जिन्दा, 05 खोखा कारतूस 315 बोर |
4. एक तमंचा .303 बोर व दो जिन्दा कारतूस 303 बोर |
5. 05 तमंचा 12 बोर व दो जिन्दा कारतूस 12 बोर |
6. एक डिस्कवर मोटर साइकिल |
7. एक स्पेलेंडर मोटर साइकिल |
8. एक TVS रेडान मोटर साइकिल |

घटना का संछिप्त विवरण-

आज दिनांक-14.07.2021 को प्रभारी निरीक्षक हरैया बिन्देश्वरी मणि त्रिपाठी मय पुलिस बल, प्रभारी स्वाट टीम निरीक्षक श्री विकास यादव व 30नि0 श्री विनोद कुमार यादव मय स्वाट टीम की संयुक्त कार्यवाही द्वारा मुखबीर खास की सूचना पर 06 अंतर्राज्यीय असलहा तस्करों को विशेषगंज से हरैया मार्ग पर NH-28 से लगभग 250 मीटर पर बेलाडे शुक्ल से पुलिस

मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया एवं गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से एवं उनके निशानदेही पर भारी मात्रा में अवैध असलहा व कारतूस बरामद किया गया ।

विशेषरगंज से हरैया मार्ग पर NH-28 से लगभग 250 मीटर पर बेलाडे शुक्ल से तीन मोटर साइकिल पर 05 व्यक्ति एकाएक पुलिस बल के सामने रुके और पुलिस बल को देखकर चिल्लाये कि मारो, जिस पर आगे चल रही मोटर साइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से दो फायर किया किंतु सभी पुलिस कर्मी अपने आप को सुरक्षित बचाने में सक्षम रहे | थाना हरैया पुलिस व स्वाट टीम बस्ती पुलिस द्वारा सभी 05 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया एवं पूछताछ करने के उपरांत अभियुक्त विशाल सिंह पुत्र रामकृष्ण सिंह के घर से अवैध असलहों के साथ गिरफ्तार किया गया |

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोगों का एक संगठित गिरोह हैं, जिसका लीडर 1. विशाल सिंह पुत्र रामकृष्ण सिंह 2. राजन तिवारी उर्फ राजनाथ तिवारी पुत्र अमरनाथ तिवारी हैं | हम लोग आस-पास के जनपदों में लोगों को अवैध शस्त्र तमंचा 12 बोर को रुपये 3500/-, 315 बोर रुपये 4500/- व पिस्टल को रुपये 35,000-40,000/- में विक्रय करते है एवं प्राप्त धन को आपस में बाँटकर उसी से अपना भरण-पोषण करते है | हम लोगों द्वारा अवैध पिस्टल को बिहार राज्य से लाकर विक्रय किया जाता है एवं अन्य असलहों को आस-पास के जनपदों से लाकर बेचते हैं |

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक हरैया विन्देश्वरी मणि त्रिपाठी जनपद बस्ती |
2. प्रभारी स्वाट टीम निरीक्षक श्री विकास यादव जनपद बस्ती |
3. व0उ0नि0 श्री कन्हैया पाण्डेय थाना हरैया जनपद बस्ती |
4. उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव स्वाट टीम जनपद बस्ती |
5. हे0का0 मनोज कुमार राय, हे0का0 मनीन्द्र प्रताप चन्द, का0 रवि प्रताप सिंह, स्वाट टीम जनपद बस्ती |
6. हे0का0 रामेश्वर पाण्डेय, का0 श्रवण कुमार राव, का0 शैलेश यादव, का0 अभिषेक यादव थाना हरैया जनपद बस्ती |
7. का0 जनार्दन प्रजापति, का0 हिन्दे आजाद, का0 सत्येन्द्र कुमार सर्विलांस सेल जनपद बस्ती |

